न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

इजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 04 / 2012 (07 / 2005)
दायर दिनांक :– 17.02.2005

अनवान

1. श्री ...लाल पिता खाना नि. खेजडी खेडा मजरा आमल्दा तह. जहाजपुर
2. श्रीमति देउ बेवा खाना गुर्जर नि. खेजडी खेडा (आमल्दा) तह. जहाजपुर
3. श्रीमति राधा पुत्री खाना गुर्जर नि. खेजडी खेडा (आमल्दा) तह. जहाजपुर
4. श्रीमति मनभरी पुत्री खाना गुर्जर नि. खेजडी खेडा (आमल्दा) तह. जहाजपुर

अपीलान्ट...........

बनाम

1. श्री भैरू पिता खाना गुर्जर नि. खेजडी खेडा (आमल्दा) तह. जहाजपुर
2. श्री मगना पिता धन्ना गुर्जर नि. खेजडी खेडा (आमल्दा) तह. जहाजपुर
3. श्री नारायण पिता धन्ना गुर्जर नि. खेजडी खेडा (आमल्दा) तह. जहाजपुर
4. श्री छीतर पिता मोडा गुर्जर नि. खेजडी खेडा (आमल्दा) तह. जहाजपुर
5. श्री भोलू पिता मोडा गुर्जर नि. खेजडी खेडा (आमल्दा) तह. जहाजपुर

रेस्पोडेंट...............

:: अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 168
फैसल दिनांक 20.07.2004 ग्राम पंचायत आमल्दा ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री अमित बिडला, एडवोकेट अपीलान्ट
2. श्री छीतर लाल रेगर, एडवोकेट रेस्पोडेंट

:: निर्णय ::

दिनांक 16.12.2019

अपीलान्ट की अपील का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की मृतक खाना पिता धन्ना गुर्जर नि. खेजडी खेडा मजरा आमल्दा का देहान्त हो चुका है अपीलान्ट मृतक के वारिस है रेस्पोडेन्ट ने पटवारी हल्का आमल्दा से मिलकर मृतक खाना की विरासत के नामांतकरण में अनाधिकार रूप से वारिसो में अपना नाम दर्ज करा लिया हैं जबकि रेस्पोडेन्ट खाना के वारिस नही हैं, रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध खाना की आराजियात बाबत अपीलान्ट से झगडा करने के कारण न्यायालय से उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचारधीन हैं इन परिस्थितियों में रेस्पोडेन्ट ने अपने नाम विरासत का नामांतकरण करा लिया हैं। जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलान्ट की यह अपील अन्य के अलावा निम्न आधार पर प्रस्तुत है। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश कानूनी तथ्य व वास्तविकता से परे होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं कानून का सुस्थापित मत है कि नियमित वाद विचाराधीन हो तो

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

न्तकरण आदेश की कार्यवाही नही की जा सकती है फिर भी यह आदेश रेस्पोडेन्ट वारिस नही होते हुये करवा लिया जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश लान्ट को बिना सुने दिया गया है जो न्याय को प्राकृतिक सिद्वान्तो के प्रतिकूल से निरस्तनीय है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा हैं वास्तविक कब्जे की जॉच किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य हैं मगना नाराण पिता धन्ना व छीतर भोलू पिता मोडा गुर्जर के नाम की स्वीकृति दी ती है। बाद में जोडा गया हो जो अपराध है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश का ताः गोपनीय रखा गया हैं तहसील मे नामान्तरकरण 20.01.2005 को 6 माह बाद या गया। इसमें फौरजरी है। उक्त आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 28.12. को जमाबन्दी की नकल लेने से हुई हैं। इसलिये दिनांक आदेश से दिनांक नकारी की मध्य का समय मियाद कानून की धारा 5 के अर्न्तगत मजरा दिलाये जाने बाद अपील अन्दर अवधि पेश है। निवेदन है की अपील अपीलान्ट स्वीकार की कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जाने की मांग की गई।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की ई। रेस्पोडेन्ट के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुये जिसे शा0फा0 किया गया। रेस्पोडेन्ट और से श्री छीतर लाल रेगर, एडवोकेट ने अधिकार पत्र पेश किया गया। वकील स्पोडेन्ट ने जवाब पेश न कर सीधी बहस करनी चाही गई।

हमने वकुलाय फरिकेन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है की नामान्तरकरण सं0 168 निर्णय दिनांक 20.07.2004 के पुश्त ग्राम पंचायत आमल्दा द्वारा निर्णय लिखा गया है जिसमें मगना नाराण पिता धन्ना छीतर भोलू पिता मोडा गुर्जर के नाम की स्वीकृति दी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है जी ये लाईन अलग पेन से एवं अलग हस्तलिखित (हैण्डराईटिंग) से लिखी गई है। जिससे न्यायालय अपीलान्टगण की अपील को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः अपीलान्टगण की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम अभयपुर प0 ह0 आमल्दा के नामान्तरकरण सं0 168 निर्णय दिनांक 20.07.2004 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार जहाजपुर को निर्देशित किया जाता है की प्रकरण में विधिक वारिसान की जॉच कर नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.01.19 12:12:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: